हिन्दू विधि

प्र०-1 एक हिन्दू स्त्री कब अपने पति से प्रथक आवास एवं भरण -पोषण की मांग कर सकती हैं । उन परिस्थतिओं का वर्णन कीजिये जिसमे येह अधिकार समाप्त हो जाता है।

अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, हिन्दू पत्नी, चाहे उसका विवाह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुआ हो अथवा उसके पश्चात, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये हकदार होगी।

उपर्युक्त उपबन्ध से यह प्रकट है कि पत्नी के भरण- पोषण के सम्बन्ध में प्राचीन विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पत्नी को भरण-पोषण देना परम दायित्व है। यह अधिकार पत्नी को उसकी पत्नी की हैसियत से विधि द्वारा प्राप्त है, किसी संविदा पर आधारित नहीं है। पत्नी चाहे भरण-पोषण अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व व्याही गई हो, अथवा इसके पश्चात् । इस रूप में इस धारा का प्रभाव भूतलक्षी है। पत्नी के भरण पोषण प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित शर्ते हैं -

(1) वह हिन्दू हो।

(2) उसकी विधित: पत्नी की हैसियत हो।

(3) वह पति के साथ रहती हो।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(1) वह हिन्दू हो

पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह हिन्दू हो। 'हिन्दू' शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। इसके अनुसार जैन, बौद्ध सिक्ख, इत्यादि भी 'हिन्दू' शब्द के भीतर आते हैं। पत्नी यदि इनमें से किसी भी धर्म या सम्प्रदाय की है अथवा इनमें से किसी धर्म या सम्प्रदाय को ग्रहण कर लेती है तो भी भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार भी भरण-पोषण के दावेदार (Claimant) का हिन्दू होना आवश्यक है।

पति का हिन्दू होना आवश्यक नहीं है। यदि उसने अधिनियम में परिभाषित 'हिन्दू' के बाहर का भी कोई धर्म ग्रहण कर लिया है तब भी भरण-पोषण देने का उसका दायित्व समाप्त नहीं होगा।

(2) उसकी विधितः पत्नी की हैसियत हो

किसी नारी के किसी पुरुष से विधितः विवाहित होने पर ही उसको पत्नी की हैसियत प्राप्त होती है। धारा 18 के अनुसार भरण-पोषण उसी नारी को प्राप्त होता है जिसकी हैसियत पत्नी की हो। अतएव तलाक दी गई, अथवा शून्य विवाह की पत्नी को इस धारा के अधीन भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने मत व्यक्त किया है कि दत्तक और भरण-पोषण

PGS National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

अधिनियम की धारा 18 (1) में पत्नी शब्द के भीतर विवाह विच्छेद हुई पत्नी भी आती है ।4 तथापि यह मत सम्बन्धित मामले के तथ्यों के आधार सही हो सकता है क्योंकि उस मामले में विवाह-विच्छेद की डिक्री अभी अन्तिम नहीं हुई थी, किन्तु एक सामान्य नियम के रूप में यह मत समीचीन नहीं है। वे हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन भरण-पोषण प्राप्त कर सकती हैं, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नहीं। हिन्दू विवाह अधिनियम में भरण-पोषण विवाह सम्बन्धी किसी वाद में मिलता है, और भरण-पोषण अधिनियम में भरण-पोषण की हैसियत पर प्राप्त होता है। न्यायिक पृथक्करण में पत्नी की हैसियत बनी रहती है । अतएव उस स्थिति में या तो विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन भरण-पोषण प्राप्त किया जा सकता है, अथवा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के अधीन। इस धारा के अधीन उपपत्नी को भरण-पोषण नहीं प्राप्त हो सकता है. क्योंकि उसकी पत्नी की हैसियत नहीं होती। विधवा को भरण-पोषण धारा 23 के अधीन प्राप्त होगा, क्योंकि धारा 18 में भरण-पोषण देने का दायित्व पति पर है, इसलिए इस धारा के अधीन भरण-पोषण पति के जीवनकाल में ही प्राप्त हो सकता है।

(3) वह पति के साथ रहती हो

यद्यपि धारा 18 (1) में पति के साथ रहने की शर्त का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु धारा 18 (2) में पत्नी के कतिपय अवस्थाओं में पति से पृथक रहकर भी भरण-पोषण प्राप्त करने की व्यवस्था करने से यह स्पष्ट है कि सामान्यतया

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये पति के साथ रहना आवश्यक है। वह पति की इच्छा से अथवा उचित कारणों से होने पर कुछ काल के लिये पति से पृथक् हो सकती है, तो इससे उसका भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता है । कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें पत्नी का पति के साथ रहना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पर उसे पृथक् रहने का अधिकार देना आवश्यक हो सकता है, और यदि वह सदाचरण करते हुए हिन्दू पत्नी बनी रहती है, तो उसे भरण-पोषण प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर हिन्दू विवाहिता नारी का पृथक् आवास एवं भरण-पोषण का अधिकार अधिनियम, 1946, पारित हुआ था, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है उस अधिनियम के उपबन्धों को बहुत साधारण परिवर्तन के साथ भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) , (3) में समाविष्ट कर लिया गया है, और उस अधिनियम को निरसित कर दिया गया है। इस प्रकार एक { हिन्दू पत्नी पति से निम्नलिखित अवस्थाओं में पृथक् रहते हुए भी भरण- पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी

(क) यदि उसका पति अभित्यजन का, अर्थात् युक्तियुक्त कारण के बिना और पत्नी की सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का, या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है; है कि जिससे उसके मन में इस

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

(ख) यदि उसके पति ने उसके साथ ऐसी करता का व्यवहार किया बात की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई है कि उसके लिए पति के साथ रहना अपहानिकारक अथवा क्षतिकारक होगा;

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है;

(घ) यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है;

(ङ) यदि उसका पति उसी गृह में, जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उपपत्नी रखता है, या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः (habitually) निवास करता

(च) यदि उसका पति कोई अन्य धर्म ग्रहण करने के कारण हिन्दू नहीं रह गया है;

(छ) यदि उसके पृथक् होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण (justifying cause) है।

उपयुक्त आधारों में से किसी एक या अधिक के होने पर पृथक् रहते हुए भी पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार है, किन्तु इसके साथ निम्नलिखित शर्तों का पालन होना भी आवश्यक है

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(1) पत्नी असती नहीं है;

(2) उसने कोई और धर्म ग्रहण नहीं किया है और हिन्दू बनी हुई है

(4) भरण-पोषण केवल उसके जीवनकाल में मिलेगा

भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, इसलिये यह प्राप्तकर्त्ता के जोवन काल भर के लिये होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके दायाद उसे दाय रूप में प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार पत्नी को मिलने वाला भरण-पोषण केवल उसके जीवनकाल के लिये है। उसकी मृत्यु के पश्चात् वह अधिकार विलुप्त हो जायेगा; और उसके दायाद उसे दाय रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। किन्तु यदि भरण पोषण के लिये उसे कोई सम्पत्ति, जैसे भूमि या मकान इत्यादि दे दिया गया है और वह उसके कब्जे में है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार वह उसकी पूर्ण स्वामिनी हो जायेगी०। और उसकी मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उसके दायादों को दाय रूप में प्राप्त होगी।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

प्र०-2 दत्तक ग्रहण को परिभाषित कीजिये तथा एक वैध दत्तक ग्रहण की मुख्य अपेक्षाओं तथा शर्तों का वर्णन कीजिये ।

परिचय (Introduction)

दत्तक की प्रथा भारत में अति प्राचीन काल से है। इसके उदाहरण वेदों में भी मिलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में शुन:शेप की कथा आती है जिसे उसके पिता ने राजा हरिश्चन्द्र को दत्तक लेने के लिए बेच दिया था जिसे बाद में ऋषि विश्वामित्र ने दत्तक लिया। ऋषि अत्रि के अपने एकमात्र पुत्र को दत्तक में औंर्व को देने की भी कथा वेद में आई है। पुराणों में भी दत्तक के अनेक आख्यान हैं। बहुसंख्यक धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में इसके सम्बन्ध में विस्तृत नियम दिये गये हैं। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि दत्तक की प्रथा प्राचीन है और यह बहुश: व्यवहृत होती थी।

इस प्रथा के प्रारम्भ होने एवं व्यवहृत होने के अनेक कारण थे हिन्दू समाज में पुत्र का कितना महत्व था इसका उल्लेख 'विवाह' अध्याय में किया जा चुका है। श्राद्धकर्म सम्पादित करने और इस प्रकार मृतक को स्वर्ग पहुँचाने का कार्य उसके पुत्र द्वारा ही हो सकता था। इसके अतिरिक्त वंश- परम्परा को बनाये रखने एवं सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता थी। कुटुम्ब में पुरुष- सदस्यों का अस्तित्व ही कुटुम्ब की शक्ति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का स्रोत (source) था । इन कारणों से औरस पुत्र, जो कि

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सर्वाधिक वांछनीय था, के न होने की स्थिति में अन्य प्रकार के पुत्रों का विधान था ।

एकमात्र पुत्र के धर्म-परिवर्तन कर देने पर भी पिता को दत्तक लेने का अधिकार है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह पुत्र पिता का श्राद्धकर्म नहीं कर सकता है पुत्र के विशेष विवाह अधिनियम, 1872, के अधीन, विवाह कर लेने पर भी पिता को दत्तक लेने का अधिकार है। पुत्र के संसार का परित्याग कर साधु अथवा संन्यासी हो जाने की स्थिति में भी पिता को दत्तक लेने का अधिकार है पुत्र के होने एवं उसके हिन्दू तथा सांसारिक बने रहने की स्थिति में भी वह दाय प्राप्त करने के योग्य नहीं है तो पिता को दत्तक लेने का अधिकार है । प्राचीन हिन्दू विधि के अनुसार नपुंसक, पतित, जन्मजात अन्धा अथवा बधिर, उन्मत्त, जड़, मूक एवं अन्य किसी इन्द्रिय से विहीन व्यक्ति को दाय प्राप्त करने का अधिकार नहीं था।।0 जाति-निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850, के पारित होने के पश्चात् यद्यपि धर्मच्युत व्यक्ति दाय से वंचित नहीं हो सकते थे, किन्तु उसकी श्राद्ध-कर्म सम्पादित करने की क्षमता समाप्त हो जाने के कारण पिता को दत्तक लेने का अधिकार था। हिन्दू दाय (निय्योग्यताओं का निवारण) अधिनियम, 1928, के पारित होने के पश्चात् केवल जन्मजात (Congenital) उन्मत्त एवं जड़ व्यक्ति दाय के निर्योग्य रहे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की शारीरिक अशक्तताओं (physical infirmities) से पीड़ित व्यक्ति दाय से वंचित नहीं रखे गये। किन्तु इस अधिनियम से समर्थ बनाये गये व्यक्ति श्राद्धकर्म करने के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे पुत्र होने की स्थिति में दत्तक पुत्र दाय नहीं प्राप्त कर सकता है। साथ ही

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

उसके अन्य किसी प्रकार के भी अधिकार, जैसे भरण-पोषण होते हैं या नहीं, यह सन्देहास्पद है, और इस पर किसी न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। ऐसी स्थिति में 1928 के अधिनियम द्वारा दाय प्राप्त करने में समर्थ बनाये गये पुत्र के होने पर दत्तक लेने का अधिकार कम से कम व्यावहारिक रूप से तो नहीं ही था

दत्तक पुत्र की स्थिति-दत्तक पुत्र अपने नैसर्गिक परिवार से अन्तरित होकर दत्तकग्रहीता परिवार में आ जाता है। मनु का मत है कि दत्तक पुत्र अपने (नैसर्गिक) पिता के गोत्र तथा धन को कहीं भी नहीं प्राप्त करता है, इसलिए पुत्र को दूसरे के लिये देते हुए (उत्पन्न करने वाले) पिता के गोत्र तथा धन सम्बन्धी स्वधा (श्राद्धादि-कर्माधिकार) नष्ट हो जाते हैं 91 दत्तक-मीमांसा और दत्तकचन्द्रिका दोनों का यह मत है कि दत्तक पुत्र औरस पुत्र का स्थान लेता है। यह स्थान वह दाय ग्रहण करने तथा श्राद्धकर्म करने दोनों प्रयोजनों के लिये लेता है। वह दत्तकग्रहीता कुटुम्ब के सदस्यों का सपिण्ड हो जाता है और उसकी दत्तकग्रहीता माता के पूर्वज उसके मातृपक्षीय पुरखे (maternal ancestors) होते हैं।92 इस प्रकार दत्तक लेना पुत्र का एक नवीन जन्म है। उत्पन्न हुए कुटुम्ब से बालक का पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। दत्तकग्रहीता कुटुम्ब में वह जन्म लिया हुआ माना जाता है।

उत्तराधिकार-दत्तक पुत्र पूर्णतया औरस पुत्र के समान माने जाने के कारण न केवल अपने पिता से ही दाय प्राप्त करता है, बल्कि पिता, पितामह और उनसे

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

और ऊपर के पूर्वजों से भी दाय प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह संपार्श्विक से भी दाय प्राप्त करता है। वह मातृपक्ष से भी दाय प्राप्त करने का अधिकारी होता है। साथ ही ये सभी सम्बन्धी उससे भी दाय प्राप्त कर सकते हैं। इन समस्त उत्तराधिकारों का अलग-अलग विवेचन करना समीचीन होगा।

पिता से उत्तरजीविता और दाय-यदि पिता स्वयं दत्तक लेता है और वह मिताक्षरा शाखा का है और उसके पास पैतृक सम्पत्ति है, तो दत्तक पुत्र तुरन्त ही पिता का सहदायिक हो जाता है और उसके साथ एक सहदायिकी का निर्माण करता है। पिता का देहान्त होने पर वह समस्त सम्पत्ति उत्तरजीविता द्वारा प्राप्त कर लेता है। यदि पिता स्वयं एक सहदायिकी कुटुम्ब का सदस्य है तो दत्तक पुत्र भी उस कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है और उन समस्त अधिकारों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है जो ऐसे कुटुम्ब के पुत्र के होते हैं 98 तथापि किसी भी दशा में दत्तक पुत्र के अधिकार उसके दत्तक पिता के अधिकारों से अधिक नहीं हो सकते हैं ।

साम्पाशिवकों से दाय-ऊपर कहा जा चुका है कि दत्तक पुत्र पूर्ण रूप से औरस पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए वह सांपाश्विकों से सम्पत्ति का बंटवारा करा सकता है और उसे वही अंश मिलता है जो एक औरस पुत्र को मिलता है। वह सांपार्शिवकों में भी दाय प्राप्त कर सकता है यदि उनके अधिक निकट के दायाद न हों तथापि पिता से और सांपाश्विकों से दाय प्राप्त करने में एक अन्तर है वह

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

अन्तर यह है कि पिता की सम्पत्ति के अन्य किसी में निहित हो गये रहने पर भी दत्तक-पुत्र उसे अनिहित कर सकता है किन्स यदि सांपार्शिवकों को सम्पत्ति दत्तक के पूर्व ही किसी में निहित हो गई हो तो उसे दत्तक पुत्र अनिहित नहीं कर सकता है। दत्तक में पिता के साथ भूतलक्षी रूप से सम्बन्धित हो जाने का नियम सांपार्श्विकों के साथ नहीं लागू होता है।

माता और मातृपक्ष से दाय-इस दाय के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व यह बताना आवश्यक है कि दत्तकग्रहीता पिता की पत्नियों से दत्तक पुत्र का क्या सम्बन्ध होता है। यदि पिता के केवल एक ही पत्नी होती है तो वह दत्तक पुत्र की माता होती है। दत्तक ग्रहण के लिये उसकी सहमति अथवा असहमति से इस सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधुर अथवा अविवाहित के दत्तक लेने पर क्रमश: उनकी मृतक तथा भावी पत्नियाँ बालक की माता हो जाती हैं। दत्तकग्रहीता की एक से अधिक पत्नियाँ होने पर जो पत्नी दत्तक लेने में पति के साथ सम्मिलित होती है, वह माता हो जाती है और शेष सौतेली माताएँ होती हैं । यदि दत्तक में सभी सम्मिलित होती हैं अथवा कोई भी सम्मिलित नहीं होती है तो सभी माताएँ होती हैं। यदि पति ने अपनी अनेक पत्नियों में से किसी को दत्तक लेने का प्राधिकार दिया है तो दत्तक लेने वाली पत्नी माता और शेष पत्नियाँ सौतेली माताएँ होती हैं दत्तक-पुत्र इसी आधार पर माता एवं मातृ पक्ष से दाय का अधिकारी होता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

जन्म वाले कुटुम्ब में दाय-मनु के पाठ का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है कि दत्तक पुत्र को अपने जन्म वाले कुटुम्ब का गोत्र एवं धन दोनों का परित्याग करना पड़ता है। दत्तक लिये जाने पर यह माना जाता है कि जैसे जन्म वाले कुटुम्ब में बालक का जन्म ही नहीं हुआ । इस प्रकार जन्म वाले कुटुम्ब में वह दाय नहीं प्राप्त कर सकता है।

दत्तक पुत्र का सम्पदा को अनिहित करना (Divesting of estate by the adopted son) पिता द्वारा दत्तक लिये जाने पर उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दत्तक पुत्र का जो अधिकार होता है उसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यदि दत्तक विधवा द्वारा लिया जाता है और पति की सम्पत्ति उसमें निहित है तो दत्तक पुत्र उसे अनिहित कर देता है। किन्तु हिन्दू नारी का सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, के लागू होने की दशा में सम्पत्ति का आधा भाग विधवा के पास रह जायेगा और आधा पुत्र को प्राप्त होता है पिता की सम्पदा के विधवा के अतिरिक्त अन्य किसी में निहित हो गये रहने पर क्या स्थिति होती है इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ चर्चा की जा चुकी है।

दत्तक के पूर्व के अन्यसंक्रामण-दत्तक पुत्र, दत्तक के पूर्व पिता द्वारा किये गये सम्पत्ति के समस्त प्रकार के अन्यसंक्रामण से बाध्य होता है। यदि दत्तक विधवा द्वारा लिया जाता है तो जहाँ तक पुत्र द्वारा सम्पत्ति के अनिहित होने का प्रश्न है, वह पिता की मृत्यु के समय से ही अस्तित्व में माना जाता है। किन्तु यह नियम सम्पत्ति के अन्यसंक्रामण के सम्बन्ध में नहीं लागू होता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

यदि सम्पत्ति विधवा में निहित थी तो उसके द्‌वारा किया गया विधिसम्मत अन्यसंक्रामण दत्तक पुत्र पर आबद्धकर होता है। यदि पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति विधवा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो गई रहती थी तो दत्तक के पूर्व उसके द्‌वारा किया गया अन्यसंक्रामण भी दत्तक-पुत्र पर आबद्धकर होता है।

दत्तक ग्रहण की आबद्धकारिता (adoption is binding)- दत्तक ग्रहण एक बार विधित: पूर्ण हो जाने पर किसी पक्ष द्‌वारा अकृत नहीं किया जा सकता है यह नैसर्गिक पिता अथवा माता, दत्तकग्रहीता पिता अथवा माता एवं दत्तक पुत्र तीनों पर आबद्धकर होता है। पुत्र की नवीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। पुत्र प्राप्तवय हो जाने पर भी अपने जन्म वाले कुटुम्ब में प्रत्यावर्तित (revert) नहीं हो सकता है।16 अधिक से अधिक वह दत्तकग्रहीता कुटुम्ब में अपने दाय के अधिकार का परित्याग (abdicate) कर सकता है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

प्र०-3 हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम , 1956 के अंतर्गत संरक्षकों के प्रकार एवं उनके अधिकारों की व्याख्या कीजिये।

उत्तर प्रकृति अथवा नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ (Powers of a natural guardian)- अधिनियम की धारा 8 में अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों की विवेचना की गई है। धारा 8 इस प्रकार है

(1) "हिन्दू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे समस्त कार्यों को कर सकता है जो उस अवयस्क के लाभ के लिए अथवा उसकी सम्पदा के उगाहने, संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हो, किन्तु संर् किसी भी दशा में अवयस्क को व्यक्तिगत संविदा के द्वारा बाध्य नहीं कर सकता।"

(2) प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना

(क) अवयस्क की अचल सम्पत्ति के किसी भाग को बन्धक या भारित (Charge) या विक्रय, दान, विनिमय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा, या

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(ख) ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को पाँच से अधिक होने वाली अवधि के लिए तथा जिस तारीख को अवयस्क वयस्कता प्राप्त करेगा, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक होने वाली अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगा।

(3) प्राकृतिक संरक्षक के उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों के विरुद्ध सम्पत्ति का जो कोई हस्तान्तरण किया है,वह उस अवयस्क की या उसके दावा करने वाली किसी व्यक्ति

की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा। कोई भी न्यायालय प्राकृतिक संरक्षक की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में किसी (4) को भी करने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय उस दशा में जब कि वह आवश्यक हो या अवयस्क की स्पष्ट भलाई के लिए हो।

(5) संरक्षक तथा वार्डस अधिनियम, 1890 की उपधारा (2) के अधीन न्यायाल अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा उसके सम्बन्ध में सभी बातों में इस प्रकार लागू जैसे कि वह उस अधिनियम को धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन हो तथा विशिष्ट रूप में

(क) आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा 4 क अर्थ के भीतर कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(ख) न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा 3 की उपधाराओं (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट हैं, तथा (ग) न्यायालय के ऐसे आदेश-अपील,जो नैसर्गिक संरक्षक को इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करे, उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपील मामूली तौर पर होती है।

(6) इस धारा में न्यायालय से तात्पर्य जिला न्यायालय अथवा संरक्षक तथा वाडस अधिनियम, 1890 की धारा 4-क के अधीन सशक्त न्यायालय से है जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत वह अचल सम्पत्ति है. जिसके बारे में आवेदन किया गया है और जहां अचल सम्पत्ति किसी ऐसे एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहां उस न्यायालय से तात्पर्य है जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में उस सम्पत्ति का कोई प्रभाग स्थित है।" इस प्रकार अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्राकृतिक संरक्षक ऐसे समस्त कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो अवयस्क के लाभ के लिए अथवा इस अवयस्क की सम्पदा के भावना, संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक, युक्तियुक्त और अपित हो। अवयस्क के फायदे के लिए कार्यों को करने का अधिकार संरक्षक को अवयस्क के: चोर के संरक्षक के रूप में होता है। उस रूप में उसे अवयस्क के पालन-पोषण,शिक्षा, स्वास्थ्य रों की देख-भाल करनी पड़ती है और अवयस्क के धार्मिक संस्कारों को सम्पादित मना पड़ता है। संरक्षक अवयस्क की सम्पदा की समस्त आय इन कार्यों पर व्यय कर सकता

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

आवश्यकता पड़ने पर वह अवयस्क की सम्पदा का हस्तान्तरण कर सकता है और इस प्रकार का हस्तान्तरण विधि मान्य होगा।

पूर्व हिन्दू विधि के अन्तर्गत प्राकृतिक संरक्षक को विस्तृत अधिकार दिये गये थे। प्राकृतिक संरक्षक के अवयस्क के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार के विषय में प्रिवी कौंसिल ने **हनुमान प्रसाद** बनाम **मु. बुबई** के वाद में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि "आवश्यकता दशा में प्राकृतिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का बन्धकरण कर सकता है, बेच सकता है. उस पर प्रभार (Charge) निर्मित कर सकता है तथा अन्य प्रकार से उसका व्यय कर सकता है।" विधिक आवश्यकता का निर्माण प्रत्येक दशा में अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसर किया जायेगा । अवयस्क का भरण-पोषण,उसकी सम्पत्ति की देखभाल.उसके पिता की अन्त्येष्टि किया तथा पिता के ऋणों को चुकाना आदि विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत आता है जिसके लिए संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का अन्य व्ययन कर सकता है।

अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने **धारा 8** के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि यह धारा नैसर्गिक संरक्षक द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्य संक्रमण करने के अधिकार की सीमा की विवेचना करता है। जहाँ अवयस्क की माता बिना किसी विधिक आवश्यकता के अथवा सम्पदा के प्रलाभ के बिना उसकी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

सम्पत्ति को बेच देती है तथा इस आशय की अनुमति न्यायालय से प्राप्त नहीं की गई है वहाँ भले ही अवयस्क के पिता ने ऐसे विक्रय को प्रमाणित कर दिया हो, वहाँ ऐसे विक्रयनामा को नैसर्गिक संरक्षक द्वारा विक्रयनामा नहीं माना जायेगा रने के लिए और वह अन्य संक्रामण (विक्रय) इस धारा की सीमा के अन्तर्गत शून्य माना जायेगा न कि शून्यकरणीय

सुमन बनाम **श्रीनिवास** के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अवयस्क के संरक्षक द्वारा की गई संविदा का अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से पालन भुलाया जा सकता है । हिन्दू विधि के अन्तर्गत नैसर्गिक संरक्षक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अवयस्क की ओर से संविदा करे और इस प्रकार की संविदा, की उपधारा यदि अवयस्क के हित में है, तो उसके ऊपर बाध्यकारी होगा और वह लागू किया जायेगा।" इसी प्रकार जहाँ किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए माता द्वारा अपने अवयस्क पुत्र की ओर से दावा दायर किया जाता है जब कि पिता जीवित है और माता तथा पिता के बीच सम्बन्ध ठीक नहीं हैं, वहाँ न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया कि यदि माता और उसकी सन्तान के हितों में विरोध नहीं है तो इस प्रकार दावा करने का माता को अधिकार प्राप्त है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law